आयकर विवरण 2018–2019 शिक्षक सुविधा हेतु

60 वर्ष तक				टैक्स	60 वर्ष से 80 वर्ष				टैक्स
1. कुल आय	250000			शून्य	1. कुल आय	300000			शून्य
2. 250001	से	500000		5 प्रतिशत	2. 300001	से	500000		5 प्रतिशत
3. 500001	से	1000000		20 प्रतिशत	3. 500001	से	1000000		20 प्रतिशत
4. 100000	से	अधिक		30 प्रतिशत	4. 100000	से	अधिक		30 प्रतिशत

1. वार्षिक आय गणना : एक अप्रेल 2018 से 31 मार्च 2019 तक प्राप्त एवं संम्भावित आय की गणना करनी है।

2. वेतन गणना : मार्च का वेतन एक अप्रैल और फरवरी का वेतन एक मार्च को मिलता है, इसलिये मार्च 2018 से फरवरी 2019 तक के वेतन की गणना होगी।

3. स्टैण्डर डिडेक्सन : कुल वार्षिक आय में से 40000 रूपये SD के धटाकर फिर गणना करनी है।

4. आय गणना : मूल वेतन के साथ ही मंहगाई वेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ती भत्ता, बोनस, स्थरीकरण ऐरियर, वेतन ऐरियर, प्रतिनियुक्ति भत्ता, निश्चित चिकित्सा भत्ता, प्रेक्टिस न करने का भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, वार्डन भत्ता, परिवार भत्ता, ग्रामीण भत्ता, परियोजना भत्ता, समर्पित अवकाश भुगतान, विवाह भत्ता, जीवन निर्वाह भत्ता, पर्वतीय भत्ता, सत्कार भत्ता, विशेष भत्ता, अंतरिम राहत, वेतन अग्रिम, प्रधानाचार्य भत्ता, प्रधानाध्यापक भत्ता, नवीन पेंशन योजना में सरकार का अंशदान और स्टेशनरी भत्ते की गणना आय में करनी है।

5. मंहगाई भत्ता : जनवरी 2018 से 7 प्रतिशत आ. दि. 23.03.2018 तथा जुलाई 2018 से 9 प्रतिशत आ. दि. 10.09.2018 इन आदेशों के अनुसार बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता एक जनवरी 2018 से 28 फरवरी 2018 तक 2 प्रतिशत और एक जुलाई 2018 से 31 अगस्त 2018 तक 2 प्रतिशत GPF खाते में जमा हुआ है।

6. 7 वें वेतनमान का ऐरियर :– 7 वें वेतनमान का एरियर 30 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 40 प्रतिशत मिला है। ये राशि जीपीएफ में जमा हुई है। इस राशि पर टीडीएस काटा गया है। ये राशि कर मुक्त नहीं है। ऐरियर राशि कुल आय में शामिल होगी। फिर धारा 80 की कटौतियों में शामिल होगी। फिर काटा गया टीडीएस कर में से कम किया जायेगा।

7. कर छूट धारा 80 C :– आयकर नियमों के तहत एस.आई, एस.आई पर देय उपकर, जी.पी.एफ, नयी पैंशन योजना में कार्मिक द्वारा अंशदान आदि नियमित कटौतियों एवं जीवन बीमा, पी.पी.एफ, आस्थगित स्कीम में अंशदान, इन्फ्रास्ट्रेक्चर बॉण्ड में क्रय, ट्यूशन फीस (दो बच्चों के लिये ही मान्य), भवन निर्माण ऋण का मूलधन का भुगतान, राष्ट्रीय बचत पत्र में अंशदान, यू.टी.आई, सरकार द्वारा अधिसूचित म्युचुअल फण्ड आदि की राशि पर छूट की अधिकतम सीमा एक लाख पचास हजार रूपये है।

8. कर छूट धारा 80 G : कुछ निधियों व धमार्थ संस्थाओं को दिया दान 100 या 50 प्रतिशत कर में छूट योग्य होता है। कुल आय की 10 प्रतिशत राशि ही ऐसे दान में दी जा सकेगी। धारा 80 G के तहत देय यह छूट धारा 80 C डेढ लाख से अलग है।

9. शिक्षा उपकर– आयकर राशि पर 3 प्रतिशत

10. मकान किराया छूट :– स्वयं का मकान नहीं होने तथा किराया देकर किराये के मकान में रहने की स्थिति में – (1) वेतन का 40 प्रतिशत (2) वर्ष में वेतन के साथ प्राप्त किया गया वास्तविक मकान किराया भत्ता। (3) वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक किराये के रूप में वर्ष में मालिक मकान को चुकाई राशि। इनमें से जो भी कम हो उसके बराबर आयकर में छूट मिलती है **[Sec10 (13 A)]**

11. उदाहरण : 1000000 (दस लाख) रूपये वार्षिक आय वाला कोई कार्मिक 70 हजार रू वार्षिक सरकार से वेतन के साथ मकान किराया प्राप्त करता है तब : (1)**1000000** का 40 प्रतिशत **4** लाख रू (2). एक वर्ष में वेतन के साथ प्राप्त मकान किराया **70000** रू.(3) यदि कार्मिक **11000** रू प्रतिमाह किराये के मकान में रहता है तब मकान मालिक को दिया गया कुल किराया **11000x12 = 132000** रू (3) कुल आय **1000000** का 10 प्रतिशत **100000** रू (5) इस प्रकार वेतन के **10** प्रतिशत से अधिक दिया गया किराया **132000 – 100000 = 32000** रू (6) इन तीनों में से वेतन के **10** प्रतिशत से अधिक दिया गया किराया **32000** रू न्यूनतम है (7) आय में **32000** रूपये की छूट मिलेगी। यह राशि **U/S(13-A)**बिन्दु **3** में अंकित कर आय में से धटानी होगी।

12. 2500 की विशेष छूट :– सकल आय **5** लाख तथा कर योग्य आय **3** लाख तक होने पर **Sec 87 A** के तहत आयकर राशि में अधिकतम 2500 रूपयों की छूट देय है।

13. पुराना ऐरियर गणना :– यदि करदाता को गत वर्षों का वेतन ऐरियर मिलता है तो उसके चाहने पर आयकर अधिनियम की धारा 89 (1) द्वारा कर राहत मिलती है। इन्कमटैक्स नियम 21 'ए' के तहत यह राशि गत वर्षों में फैलाकर पृथक–पृथक वर्ष में गणना की जावेगी। जिससे कर राशि कम या कर मुक्त की स्थिति बन सकती है। यह राहत पाने के लिए फार्म 10 ई भरकर देना होता है। यह गत वर्षों में फैलाकर कर गणना करके कार्मिक को लाभ देने का अधिकार आहरण एवं वितरण अधिकारी को भी होता है।

अस्पष्टता में आयकर विभाग के आदेश ही मान्य होंगे– महेन्द्र पाण्डे महामन्त्री राजस्थान प्राथमिक वं माध्यमिक शिक्षक संघ

www.rajsevak.com